समाचार पत्रों की कतरनें

अगस्त, 2025

हिमाचलदस्तक, दिनांक 1 अगस्त 2025
पेज न0–3, कालम–5,6

हिमाचल में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वाहन होंगे स्क्रैप

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

- ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते हुए पकड़े जाने पर पुलिस करेगी जब्त
- सरकार ने वन टाइम लैगेसी पॉलिसी को दी मंजूरी
- वाहन का 10 फीसदी शुल्क देकर करवा सकेंगे पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना आसान नहीं होगा। अगर पुलिस ने ऐसे वाहन को सड़क पर चलते हुए पकड़ा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैप में भेज दिया जाएगा।

सरकार ने इसको लेकर वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन टाइम लैगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसमें वाहन मालिक तय शुल्क अदाकर अपने वाहन को रजिस्टर करवा सकता है। प्रदेश में 27000 के करीब अनरजिस्टर वाहन हैं। हिमाचल में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें नैशनल हाईवे समेत, रेललाइन और पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इनमें बड़े-बड़े वाहन भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें जेसीबी सहित बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बिना रजिस्ट्रेशन के बाहरी राज्यों से यहां पर पहुंची हैं। हादसों के दौरान यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वाहन किसके नाम पर पंजीकृत है। हादसों के बाद वाहन और चालक दोनों ही गायब हो जाते हैं। ऐसे में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे वाहन जो बिना पंजीकरण के प्रोजेक्टों में लगे हुए हैं, वे वन टाइम लैगेसी पॉलिसी के तहत वाहन के कॉस्ट का 20 प्रतिशत अदाकर अपने वाहन पंजीकृत करवा सकता है, ताकि वह कार्रवाई से बच सके। इसी तरह हिमाचल के लोगों को भी सरकार ने राहत दी है। प्रदेश में भी कई ऐसे वाहन हैं, जोकि बिना पंजीकृत हुए सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे वाहन जो पंजीकृत नहीं हैं, वे भी अपनी इस पॉलिसी के तहत अपने वाहन की कुल कीमत का 10 फीसदी अदा कर पंजीकृत करवा सकेंगे। ऐसे में हिमाचल में लाखों वाहन मालिकों को सरकार की इस वन टाइम लैगेसी पॉलिसी का लाभ होगा। अगर तय समय के बाद पुलिस ऐसे वाहनों को पकड़ती है, जो बिना पंजीकरण हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं उन्हें जब्त कर लेगी और उसके बाद स्क्रैप में भेज देगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 2 अगस्त 2025
पेज न0–10, कालम–5,6

40 वाहनों के चालान कर वसूला 2 लाख जुर्माना

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बीबीएन

▮ बिना टैक्स अदा किए चल रहा एक वाहन किया इंपाउंड

आरटीओ नालागढ़ द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरटीओ की टीम ने खामियां पाए जाने की सूरत में वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की।

इस विशेष अभियान में करीब 150 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियम तोड़ने पर 40 वाहनों के चालान काटे गए और कुल 2 लाख का जुर्माना वसूला गया। वहीं 1 वाहन मौके पर ही जब्त किया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने और दस्तावेज पूर्ण न करने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार आरटीओ नालागढ़ विपिन गुप्ता की अगुवाई वाली टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग अलग हिस्सों में जाकर वाहनों पर कार्रवाई की और अनियमितताएं पाए जाने पर वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। इसी दौरान एक स्कूल बस को जब्त किया गया, जो बिना टैक्स अदा किए और जरूरी वैध दस्तावेजों के चल रही थी।

बता दें कि यह पूरा अभियान निदेशक परिवहन के निर्देशों पर चलाया जा रहा है और एक सप्ताह तक बीबीएन के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा।अभियान के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की भी सघन जांच की गई जिन वाहनों पर यह प्लेट नहीं पाई गई, उनके चालान काटे गए।

आरटीओ विपिन गुप्ता ने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 3 अगस्त 2025
पेज न0–08, कालम–5,6

यातायात नियम तोड़ने वालों पर सोलन आरटीओ का शिकंजा

विभाग ने 2 हफ्ते में 3.5 लाख रुपये जुर्माना वसूला

हिमाचल दस्तक ▮ सोलन

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने जहां कुछ दिन पहले कई वोल्वो बसों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये का जुर्माना एकत्रित किया है, वहीं अब इसी मुहिम को जारी रखते हुए पिछले 15 दिनों में नैशनल हाईवे से गुजर रही वोल्वो बसों के अलावा अन्य निजी गाड़ियां जो नियमों को ताक पर रख रही थी, उन पर भी कार्रवाई की गई। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 सप्ताह में 3.50 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने में भरा गया है।

गौरतलब है की आरटीओ सोलन ने बीते 15 दिनों के भीतर नैशनल हाईवे पर चल रही कई वोल्वो बसों की जांच कर एक बड़ी कार्यवाई की है। जांच में सामने आया कि ये लग्जरी बसें परिवहन नियमों की सरेआम अवहेलना कर रही हैं। आरटीओ विभाग के अनुसार, वोल्वो बस चालकों द्वारा तय दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। इन वाल्वो बसों में सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं।

विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी

▮ वोल्वो बसों सहित कई वाहनों पर कार्रवाई

कि नियमों के मुताबिक, वोल्वो बसें केवल ऑनलाइन बुकिंग वाले यात्रियों को ही एक निश्चित गंतव्य तक ले जा सकती हैं और वहीं से वापसी कर सकती हैं। मगर जांच के दौरान पाया गया कि ये बसें रास्ते में मनमर्जी से अलग-अलग जगहों से यात्रियों को बैठा रही हैं। इससे न केवल निर्धारित प्रणाली प्रभावित हो रही है, बल्कि सड़कों पर अव्यवस्था भी फैल रही है। विभाग की यह कार्रवाई केवल वोल्वो तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य नियम तोड़ने वाले 100 से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए हैं।

> विभाग ने तय नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले कुछ दिनों में कई वोल्वो बसों पर कुल मिलाकर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की ये कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।
>
> **-कविता ठाकुर, आरटीओ, सोलन।**

हिमाचल दस्तक, दिनांक 4 अगस्त 2025

पेज न0–07, कालम–5,6,7

परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर ने किया नालागढ़ का दौरा

ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▪ बीबीएन

परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर एसडी नेगी नालागढ़ दौरे के दौरान अधिकारियों व ट्रांसपोर्टरों के साथ।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर एसडी नेगी ने नालागढ़ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक ऑपरेटर यूनियन, बस ऑपरेटर व टैक्सी यूनियन और परिवहन अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर गहन चर्चा हुई।

बैठक में उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए और ट्रांसपोर्टरों से अपेक्षा जताई कि वे वाहनों की नियमित जांच, चालकों की ट्रेनिंग और ट्रैफिक नियमों के पालन को प्राथमिकता दें। एसडी नेगी ने क्षेत्र में स्थापित हो रहे फिटनेस टेस्टिंग सेंटरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बद्दी के काठ में सरकारी क्षेत्र में बनाए जा रहे आधुनिक सेंटर की प्रगति का जायजा लिया, साथ ही नालागढ़ के जगतखाना में निजी क्षेत्र में विकसित किए जा रहे सेंटर का भी दौरा किया।

एसडी नेगी ने ट्रांसपोर्टरों को आगाह किया कि भारी वाहनों की ओवरलोडिंग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सीधे तौर पर जानलेवा हादसों को न्योता देती है।

एसडी नेगी ने बताया कि यदि किसी सड़क हादसे में कोई व्यक्ति घायल को अस्पताल तक पहुंचाता है तो सरकार उस मददगार को 25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे नेक कार्य करने वाले व्यक्ति को पुलिस या न्यायालय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्थानीय ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने विभाग की इस पहल का स्वागत किया और बैठक को सकारात्मक कदम बताया।

ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता पर बल

यूनियन सदस्यों ने बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सड़कों की मरम्मत और चौड़ाईकरण जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। एसडी नेगी ने आश्वासन दिया कि परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर आरटीओ विपिन गुप्ता, मदन शर्मा, मनोज राणा, जितेंद्र ठाकुर, बग्गा राम, नसीब सैनी, ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 12 अगस्त 2025

पेज न0–09, कालम–4,5,6,7,8

बद्दी के भटोलीकलां में बनाया जा रहा इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, वाहन मालिकों को मिलेगी सुविधा

बीबीएन में अब होगी वाहनों की ऑटोमैटिक पासिंग

आरुणि पाठक ▪ बीबीएन

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अब वाहन मालिकों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वाहनों की पासिंग ऑटोमैटिक मशीनों के माध्यम से होगी। वाहन मालिक अब किसी भी दिन अपनी गाड़ी पास करवा सकेंगे। बद्दी के भटोलीकलां में पासिंग के लिए इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए 63 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। सेंटर के शुरू होने से मैनुअल पासिंग बंद हो जाएगी। जानकारी अनुसार बद्दी के भटोलीकलां में निर्माणाधीन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर का कार्य प्रगति पर चला हुआ है और इसका करीब 85 फीसदी सिविल वर्क पूरा हो चुका है। इसके बाद मशीनरी की इंस्टॉलेशन की जाएगी। इस सेंटर पर केंद्र सरकार 16.35 करोड़, प्रदेश सरकार 3.65 करोड़ खर्च कर रही है।

हाल ही में परिवहन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने सेंटर का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया है। चयनित 63 बीघा भूमि पर 22 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा ऑटोमैटिक वाहन पासिंग सेंटर का सिविल कार्य करीब पूरा चुका है। 15 बीघा भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 2020 में शुरू हुई इस परियोजना के पूरा होने पर बीबीएन में मैनुअल पासिंग बंद हो जाएगी और सभी वाहनों की फिटनेस जांच मशीनों से होगी।

दो लेन भारी व दो लेन हल्के वाहनों के लिए

चार लेन वाले इस केंद्र में दो लेन भारी वाहनों और दो लेन हल्के वाहनों के लिए होंगी। वाहन चालक गाड़ी पासिंग गेट पर खड़ी कर चाबी सौंपेंगे, इसके बाद गाड़ी मशीनों से लेकर निकलेगी। बड़े वाहन की जांच लगभग 8 मिनट और छोटे वाहन की 5 मिनट में पूरी हो जाएगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। पार्किंग और ग्रीन एरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। यह ढांचा केंद्र सरकार की मॉडल आई एंड सी योजना के अनुरूप है, जैसा बड़े राज्यों में लागू आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों में किया गया है।

केंद्र बीबीएन के लिए गेमचेंजर साबित होगा। ऑटोमैटिक सिस्टम शुरू होते ही मैनुअल पासिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। वाहन मालिकों को लंबी कतारों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज होंगी। सड़क पर केवल तकनीकी रूप से फिट वाहन ही उतरेंगे।

- विपिन गुप्ता, आरटीओ, नालागढ़।

नालागढ़ में भी खुलेगा सेंटर

इसी तरह का एक अन्य इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर निजी क्षेत्र में नालागढ़ के जगतखाना में खोला जा रहा है, जिसका निर्माणकार्य भी चला हुआ है।

बीबीएन में 10 हजार से अधिक ट्रक

एशिया की बड़ी ट्रक यूनियनों में शुमार द ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ में है, जिसमें 10 हजार से अधिक ट्रक शामिल हैं। इसके अलावा टेपो, कैंटर, छोटा हाथी आदि कई यूनियनें व कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी पासिंग चली रहती है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 17 अगस्त 2025

पेज न0–10, कालम–1,2,3

आरटीओ के नाम पर फैलाया जा रहा साइबर फ्रॉड, सावधानी बरतने के निर्देश

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

हिमाचल में अब आरटीओ के नाम पर साइबर फ्रॉड फैलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना होगा। लोगों को आरटीओ अधिकारी बनकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए संदेश मिल रहे हैं।

इन संदेशों में आरटीओ चालान नाम का एक संदिग्ध मोबाइल एप्लिकेशन भी शामिल है। पाया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस ऐप को इंस्टॉल या खोलता है, यह पीड़ित के अपने व्हट्सएप नंबर का इस्तेमाल करके खुद-ब-खुद दूसरे व्हट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड होने लगता है।

साइबर सैल द्वारा इसे लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आरटीओ या किसी अधिकृत सरकारी निकाय द्वारा ऐसा कोई आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन या व्हाट्सएप संदेश नहीं भेजा गया है।

तुरंत करें ये उपाय

- किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टॉल या खोलें नहीं।
- ऐसे संदेशों को न तो फॉरवर्ड करें और न ही उनका जवाब दें।
- यदि ऐसे संदेश प्राप्त हों तो उन्हें तुरंत हटा दें और संबंधित साइबर अपराध शाखा को रिपोर्ट करें।
- अपने मोबाइल फोन पर एंटीवायरस सुरक्षा सक्रिय रखें और केवल गूगल प्ले स्टोर जैसे अधिकृत स्रोतों से ही ऐप्स डाउनलोड करें।

"आरटीओ के नाम पर साइबर फ्रॉड फैलाया जा रहा है। सबसे उत्तम व सरल उपाय यही है कि स्वयं की सुरक्षा करें। किसी भी अनाधिकृत ऐप का इस्तेमाल करने से बचें। किसी भी प्रकार के फ्रॉड व धोखाधड़ी होने की सूचना पर साइबर सैल के टोल फ्री नंबर 1930 पर काल करके शिकायत दर्ज करें। आधुनिक व डिजिटल युग में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है, इसके लिए सभी अपनी सुरक्षा के उपाय अपनाएं।

-मोहित चावला
डीआईजी साइबर सेल, हिप्र।